FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0151 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 13:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 15:40 बजे **Time To (समय तक):** 11:23 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 13:49:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYAL SAHAYAK ABHIYANTA PARTHAM, J.V.V.N.L. TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KHALID HUSAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SADIK HUSAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALIPALTAN WARD NO.53 TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALIPALTAN WARD NO.53 TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAVNEET SINGH GURJAR		पिता:BRIRAJ SINGH GURJAR	1. 79/38,MANSAROVAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	MOHAMMAD SHAJIM		पिता:MOHAMMAD AABID	1. KALIPALTAN,KOTWALI TONK,TONK,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक का रहने वाला हू तथा मिस्त्री का काम करता हू। आज हमारे घर पर विघुत विभाग की टीम आयी तथा हमारे मीटर की फोटो खीच कर मीटर को खोलकर ले गये तथा मेरे घरवालो से कहां कि तुम्हारी वी.सी.आर. भरेगी। मैं आज ही विघुत विभाग टोक में जाकर श्री नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब से मिला तथा मेरे मीटर के सम्बन्ध में कहां तो कहने लगे कि तुम लोगो ने डायरेक्ट तार डाल रखे है तथा बिजली की चोरी करते हो जिस कारण तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। फिर मैने काफी निवेदन किया तो कहने लगे कि 55 हजार की वी.सी.आर बनती है 25 हजार रूपये दे जाना और मीटर ले जाना। मैंने कहां कि वी.सी.आर. तो आपने भरी ही नही तो कहने लगे कि अगर मीटर चाहिये तो 25000 रूपये लेकर आ जा। श्री नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब हमारे खिलाफ वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा रिश्वत राशि देने पर ही मीटर देने हेतु कह रहे है। जबकि हमारी कोई गलती नही है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब विघुत विभाग टोक को रिश्वत नही देना चाहता हू। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब विघुत विभाग टोक से कोई रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक मो.न. कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 04.06.2026 समय 3.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक का रहने वाला हू तथा मिस्त्री का काम करता हू। आज हमारे घर पर विघुत विभाग की टीम आयी तथा हमारे मीटर की फोटो खीच कर मीटर को खोलकर ले गये तथा मेरे घरवालो से कहां कि तुम्हारी वी.सी.आर. भरेगी। आज मैं विघुत विभाग टोक में जाकर श्री नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब से मिला तथा मेरे मीटर के सम्बन्ध में कहां तो कहने लगे कि तुम लोगो ने डायरेक्ट तार डाल रखे है तथा बिजली की चोरी करते हो जिस कारण तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। फिर मैने काफी निवेदन किया तो कहने लगे कि 55 हजार की वी.सी.आर बनती है 25 हजार रूपये दे जाना और मीटर ले जाना। मैंने कहां कि वी.सी.आर. तो आपने भरी ही नही तो कहने लगे कि अगर मीटर चाहिये तो 25000 रूपये लेकर आ जा। श्री नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब हमारे खिलाफ वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा रिश्वत राशि देने पर ही मीटर देने हेतु कह रहे है। जबकि हमारी कोई गलती नही है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब विघुत विभाग टोक को रिश्वत नही देना चाहता हू। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब विघुत विभाग टोक से कोई रंजीश व रूपये पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथयों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 4.25 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब विघुत विभाग टोक से मिलकर अपने मीटर तथा वी.सी.आर. के बारे में तथा रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूगॉ। अतः कानि0 राजकुमार 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 राजकुमार 160 को सुपुर्द कर समय 4.37 पी.एम पर वायस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी खालिद हुसैन को सुपुर्द करवाकर परिवादी एवं राजकुमार कानि. 160 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन विघुत विभाग टोक रवाना किया जाता है। समय 5.10 पी.एम पर राजकुमार कानि मय परिवादी श्री खालिद

हुसैन के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री खालिद हुसैन रवाना होकर कार्यालय विघुत विभाग टोक के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. विघुत विभाग टोक से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय विघुत विभाग टोक के लिये रवाना कर मैं कार्यालय विघुत विभाग टोक के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता श्री नवनीत गुर्जर ए.ई.एन. साहब से हो गई है उन्होने मेरा मीटर देने तथा वी.सी.आर. नही भरने की एवज में 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे निवेदन करने पर 20000 रूपये रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहां है। फिर मै व परिवादी कार्यालय विघुत विभाग टोक से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथयों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 5.25 पी.एम. पर परिवादी श्री खालिद हुसैन ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने अपने स्तर से जानकारी की है। श्री नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब ऑफिस से जयपुर के लिये निकल गये है। जिस कारण अभी रिश्वत देना सम्भव नही है। कल उनके कार्यालय में आने पर उनको रिश्वत राशि दे दूंगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि कल दिनांक 05.06.2026 को सुबह 8 बजे कार्यालय हाजा पर रिश्वत राशि 20000 रूपये लेकर उपस्थित आये तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी खालिद हुसैन को कार्यालय से रूकसत किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बन्धित वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षार्थ कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 5.35 पी.एम पर कल दिनांक 05.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान पांबद करने हेतु आबकारी अधिकारी कार्यालय आबकारी विभाग टोक के नाम तहरीर देकर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को रवाना किया गया। समय 5.55 पी.एम. पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 फिकराबाला का रवानाशुदा वापस आया व बताया कि दिनांक 05.06.2026 को दो स्वतंत्र गवाहान पांबद करने हेतु तहरीर लेकर कार्यालय आबकारी विभाग टोक पहुचा तथा स्वतंत्र गवाहान 1. श्री मनीष विजय पुत्र श्री रमेश विजय जाति महाजन उम्र 37 साल निवासी 26, महावीर नगर, रजके वाले बाबा के पास टोक हाल वरिष्ठ सहायक, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर
2. श्री राजकुमार कर्णावत पुत्र श्री मोहन लाल कर्णावत जाति खंगार उम्र 38 साल निवासी बम्बोर गेट, अन्नापूर्णा डूंगरी, टोक हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर को दिनांक 05.06.2026 को सुबह 8 ए.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। गवाहान को पांबद कर रवाना होकर वापस आया। दिनांक 05.06.2026 समय 8 ए.एम. पर पांबदशुदा परिवादी खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आया। समय 8.10 ए. एम. पर पांबदशुदा स्वतन्त्र गवाह 1. श्री मनीष विजय पुत्र श्री रमेश विजय जाति महाजन उम्र 37 साल निवासी 26, महावीर नगर, रजके वाले बाबा के पास टोक हाल वरिष्ठ सहायक, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर
2. श्री राजकुमार कर्णावत पुत्र श्री मोहन लाल कर्णावत जाति खंगार उम्र 38 साल निवासी बम्बोर गेट, अन्नापूर्णा डूंगरी, टोक हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग टोक मोबाईल नम्बर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री खालिद हुसैन से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। पूर्व में सुरक्षित रखे गये सरकारी वायस रिकार्डर कार्यालय आलमारी से निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर मुख्य-मुख्य अंश गवाहान को सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 8.20 ए. एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि. द्वारा तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की 3 सी.डी. तैयार करवायी गयी। 2 सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सी.डी. को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। शील्डशुदा पैकिटो को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। समय 9.20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा परिवादी श्री खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उक्त नोटों के नम्बरों

को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री गणेश सिंह कानि. 375 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री गणेश सिंह कानि. 375 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी खालिद हुसैन के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री राजकुमार कर्णावत से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्री गणेश सिंह कानि. 375 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गणेश सिंह कानि. 375 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश सिंह कानि. 375 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पे◌ाजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा परिवादी को राजकुमार कानि. 160 के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/मैसेज करने/वार्ता करने तथा अपने सिर पर हाथ घुमाकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.25 ए.एम. पर राजकुमार कानि 160 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी व राजकुमार कानि. 160 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, जलसिंह कानि. 248, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मनीष विजय, राजकुमार कर्णावत तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड को सरकारी कैमेरे में डालकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई मय प्राईवेट वाहन मय कार्यालय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम जे.वी.वी.एन.एल. टोक के लिये रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्री गणेश सिंह कानि. 375 को छोडा गया। समय 10.30 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुद्रा का कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम जे.वी.वी.एन.एल. टोक से पहले सर्किट हाउस पर रूका तथा राजकुमार कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कराकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर पैदल-पैदल कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम जे.वी.वी.एन.एल. टोक पर भेजा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम जे.वी.वी.एन.एल. टोक के पास सुरक्षित स्थान पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय 12.55 पी.एम. पर दर्ज रहे कि परिवादी श्री खालिद हुसैन पुत्र श्री सादिक हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कालीपलटन वार्ड न. 53 टोंक ने समय 11.23 ए.एम. पर मोबाईल नम्बर से श्री राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर पर रिश्वत लेन-देन का कॉल कर ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनीष विजय, श्री राजकुमार कर्णावत मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, अजित सिंह कानि. 56, श्रीमती नमिता महिला कानि. नं. 316 मय ट्रैप बाक्स मय कार्यालय लेपटाप मय सरकारी केमरा के परिवादी के पास कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, टोंक के परिसर में परिवादी के पास एक कमरें के बाहर पहूंचा। परिवादी ने चालू हालत में रिश्वत वॉयस रिकॉर्ड पेश किया जिसको बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कमरे के गेट पर खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह मोहम्मद शाजिम है, जिसको मैंने अभी श्री नवनीत सिंह गुर्जर ए.ई.एन साहब के कहने पर रिश्वत राशि 20,000 रूपये मोहम्मद शाजिम को दी है जिसने रिश्वत राशि को अपने पहनी हुई पेंट के पीछे वाली दाहिनी जेब में रखी है तथा श्री नवनीत सिंह गुर्जर ए.ई.एन. साहब अपने कार्यालय कक्ष में चले गये है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय टीम के श्री मोहम्मद शाजिम को अपने हमराह लेकर श्री नवनीत सिंह गुर्जर ए.ई.एन के कार्यालय कक्ष नम्बर 3 में पहुंचा। जहां पर

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका अपना नाम परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री नवतीन सिंह गुर्जर पुत्र श्री ब्रजराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 79/38 मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर शहर हाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक होना बताया तथा माह फरवरी 2024 से कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापित होना बताया। उक्त व्यक्ति से मोहम्मद शाजिम के बारे में पूछने पर बताया कि यह मोहम्मद शाजिम में जो मेरे ऑफिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है जो संविदाकर्मी है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका अपना नाम परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री मोहम्मद शाजिम पुत्र श्री मोहम्मद आबिद जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 32, कालीपलटन पुलिस थाना कोतवाली टोंक जिला टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, जे.वी.एन.एल. टोंक होना बताया तथा विगत 7 साल से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा पर आई.सी.सी.एस. लगा होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता से परिवादी श्री खालिद हुसैन से वी.सी.आर. (विजिलेन्स चैकिंग रिपोर्ट) नही भरने तथा परिवादी का मीटर देने के लिये रिश्वत राशि की मांग करने एवं रिश्वत राशि अपने सहयोगी श्री मोहम्मद शाजिम को परिवादी से दिलवाने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं खालिद हुसैन को नही जानता हू नाहि मैने इससे कोई रिश्वत राशि की मांग की है नाहि मैने इसको रिश्वत राशि मोहम्मद शाजिम को देने हेतु कहां है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोहम्मद शाजिम से परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैं खालिद हुसैन को जानता हू। कुछ समय पूर्व श्री नवनीत गुर्जर जी ए.ई.एन साहब मेरे कमरे में आये तथा मुझे बुलाकर अपने कार्यालय कक्ष में ले गये तथा मेरे से कहा कि खालिद तेरा पडौसी है तु इससे 20000 रूपये ले ले। मैं खालिद से रूपये नही ले सकता और तु तेरे पास ही रख लेना। इस पर मैने परिवादी से नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब के कहेनुसार 20000 रूपये अपने हाथो में लेकर अपनी पहनी हुये पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे। इस पर परिवादी ने स्वतः ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 04.06.2026 को नवनीत जी ए.ई.एन. साहब इनकी टीम के साथ हमारे घर पर गये तथा हमारे घर के मीटर की फोटो खीच कर मीटर को खोलकर ले गये। कल जब मैं श्री नवनीत जी ए.ई.एन. साहब से जाकर इनके कार्यालय में मिला तथा अपना मीटर देने हेतु कहा तो इन्होने मुझसे वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। कल दिनांक 04.06.2026 को आपके कार्यालय पर शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आपके कार्यालय से रवाना होकर नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब के पास पहुॅचा तथा मेरे मीटर के बारे में कहां तो नवनीत जी ने कहां कि कितने लेकर आया है तो मैने कहां कि कितने लेकर आउ तो नवनीत जी ने कहां कि 55000 रूपये की वी.सी.आर. भरेगी। तो मैने कहां कि थोडा गुंजाईस कर दो तो इन्होने कहां कि 25000 रूपये लेकर आ जा। मैने निवेदन किया तो कहां कि 20000 रूपये दो देने पडेगे। नवनीत जी गुर्जर ने मेरी वी.सी.आर. नही भरने तथा मुझे मेरा मीटर दने की एवज में 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। नवनीत सिंह जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब की मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि देने हेतु नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब के कार्यालय आया तो नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब फील्ड में गये हुये थे। जिनका काफी समय तक इंतजार किया। जब नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब वापस आये तो मैने उनसे परिसर में मिला। जिन्होने मुझे देखकर रिश्वत राशि मोहम्मद शाजिम जो परिसर में मौजूद था को देने हेतु ईशारा किया जिस पर मैं मोहम्मद शाजिम के पास गया तथा वार्ता की। मोहम्मद शाजिम वार्ता के दौराने मुझे परिसर में छोडकर नवनीत जी गुर्जर ए.ई.एन. साहब के पास उनके कार्यालय में गया तथा थोडी देर बाद वापस आया तथा मुझसे रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने हाथो में लेकर रिश्वती राशि अपनी पेंट की पीछे वाली दाहिनी जेब में रखी। फिर मैने आपको रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपीगणों से पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि आरोपीगणो ने कहां कि साहब हमसे गलती हो गई माफी चाहते है। हमें बचा लो। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मोहम्मद शाजिम के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी मोहम्मद शाजिम के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1, LH-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय कक्ष में आरोपी श्री मोहम्मद शाजिम की पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट को स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार कर्णावत से निकलवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/- रूपये मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वति राशि को गवाह श्री राजकुमार कर्णावत के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष से मोहम्मद जुनैद हैड कानि. से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी मोहम्मद शाजिम के वक्त घटना रिश्वति राशि अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी गई थी। आरोपी की पहनी हुयी पेन्ट को ससम्मान उतरवायी जाकर एक पजामें की व्यवस्था कर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घोल में आरोपी की पेन्ट पीछे की दाहिनी जेब को उलटकर से धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरिन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क P-1, P-2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई को सूखवा कर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर मार्क "P" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाह श्री राजकुमार कर्णावत के पास रखवाई गई रिश्वती राशि 20000/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशि को एक सफेद रंग के लिफाफे में रखकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक में भीड एकत्रित हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मयं डिटेनशुदा आरोपीगण 1. नवनीत गुर्जर सहायक अभियन्ता 2. मोहम्मद शाजिम मय प्राईवेट वाहनो के कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक से रवाना होकर ए.सी.बी. चौकी टोक पहुचा। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री खालिद हुसैन द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री खालिद हुसैन व आरोपी मोहम्मद शाजिम के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडियॉ अकब से तैयार करवायी जायेगी। उपरोक्त तथयो एवं परिस्थितियो से पाया कि दिनांक 04.06.2026 को आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक मय अपनी टीम के परिवादी के घर पर गये तथा परिवादी के मीटर की फोटो खींच कर मीटर खोलकर ले गये। परिवादी कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी. एन.एल. टोंक में जाकर आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता टोक से मिला तथा अपना मीटर देने हेतु कहां तो आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता ने परिवादी को वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। कल दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर ने परिवादी को 55000 रूपये की वी.सी.आर. भरने का भय दिखाकर परिवादी से 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा परिवादी के कम करने की कहने पर 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने की सहमति दी। आज आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर की मांग के अनुसरण में परिवादी रिश्वत राशि देने हेतु आरोपी नवनीत गुर्जर के पास गया तो नवनीत गुर्जर फील्ड में गया होना पाया। जिसका काफी समय तक इंतजार किया। जब आरोपी नवनीत गुर्जर वापस आया तो परिवादी उससे परिसर में मिला। जिसने सावधानी बरतते हुये परिवादी को देखकर परिवादी को रिश्वत राशि अपने सहयोगी आरोपी मोहम्मद शाजिम जो परिसर में मौजूद था को देने हेतु ईशारा किया जिस पर परिवादी आरोपी मोहम्मद शाजिम के पास गया तथा वार्ता की। आरोपी मोहम्मद शाजिम दौराने रिश्वत लेन-देन परिवादी को परिसर में छोडकर आरोपी नवनीत गुर्जर से मिलकर वापस आया तथा परिवादी से रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने हाथो में लेकर रिश्वती राशि अपनी पेंट की पीछे वाली दाहिनी जेब में रखी। जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। आरोपी मोहम्मद शाजिम के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी है दाहिनी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता के कहने से आरोपी मोहम्मद शाजिम द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी। जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया जाता है। आरोपीगण 1. श्री नवनीत सिंह गुर्जर पुत्र श्री ब्रजराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 79/38 मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर शहर हाल सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. टोंक 2. श्री मोहम्मद शाजिम पुत्र श्री मोहम्मद आबिद

जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी वार्ड नम्बर 32, कालीपलटन पुलिस थाना कोतवाली टोंक जिला टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (सविदाकर्मी) जे.वी.वी.एन.एल. टोंक (दलाल) को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उपरोक्त कार्यवाही में जो ब्रास सील प्रयोग में ली गई का नमूना निम्नानुसार है। समय 2.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री नवनीत सिंह गुर्जर पुत्र श्री ब्रजराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 79/38 मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर शहर हाल सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.वी.एन.एल. टोंक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 3.30 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मोहम्मद शाजिम पुत्र श्री मोहम्मद आबिद जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी कालीपलटन पुलिस थाना कोतवाली टोंक जिला टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, (संविदाकर्मी) जे.वी.वी.एन. एल. टोंक (दलाल) को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 4.30 पी.एम. पर दिनांक 05.06.2026 को रूबरू परिवादी व आरोपीगणो के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 4 सीडियो में तैयार करवायी गयी । तीन सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.30 पी.एम. पर दिनांक 04.06.2026 को परिवादी श्री खालिद हुसैन व आरोपी नवनीत गुर्जर सहायक अभियन्ता के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड 16 GH Rajdhani कम्पनी को कार्यालय आलमारी से निकलवा गया तथा दिनांक 05.06.2026 को परिवादी श्री खालिद हुसैन व आरोपीगण 1. नवनीत गुर्जर 2. मोहम्मद शाजिम के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता हुई से सम्बन्धित मेमोरी कार्डस 16 GH Rajdhani कम्पनी को कुल 2 नग मैमोरी कार्डस को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 7 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार टे्प कार्यवाही के दौरान मौके पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 4 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. PENDENT कम्पनी के तैयार करवाये गये। 3 पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क T-1, T-2, T-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। इसी दौराने आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, श्री हंसराज कानि. 359 मय प्राईवेट वाहन के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपीगण 1. नवनीत सिंह गुर्जर व 2. मोहम्मद शाजिम का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थय परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 8.30 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर विडियोग्राफी करवायी गयी थी। विडियोग्राफी से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्डस 16 GH Rajdhani कम्पनी के नंग 1 को कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M-1 अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी दौरान आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय आरोपीगण 1. नवनीत सिंह गुर्जर 2. मोहम्मद शाजिम का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपीगणो को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 9 पी.एम. पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 20000 रूपये मार्क एन सिल्ड चिट शुदा धोवन की 6 शिशियां मार्क RH-1. RH-2, LH-1, LH-2, P-1, P-2 तथा पेन्ट का शील्डशुदा पैकिट मार्क "P" शील्डशुदा पैकिट 5 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क A-1, A-2, B-1, B-2, B-3 तथा शील्डशुदा पैकिट मैमोरी कार्ड M शील्डशुदा पैकिट 3 पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क T-1, T-2, T-3 शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क- M-1 एक मोबाईल अनशिल्ड इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 9.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.30 पी.एम. पर श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार

करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मैमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.30 पी.एम. पर परिवादी श्री खालिद हुसैन व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री राजकुमार कर्णावत व श्री मनीष विजय को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। उपरोक्त तथयो एवं परिस्थितियो से पाया कि दिनांक 04.06.2026 को आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.एन.एल. टोंक मय अपनी टीम के परिवादी के घर पर गये तथा परिवादी के मीटर की फोटो खींच कर मीटर खोलकर ले गये। परिवादी कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम, जे.वी.एन.एल. टोंक में जाकर आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता टोक से मिला तथा अपना मीटर देने हेतु कहां तो आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता ने परिवादी को वी.सी.आर. भरने की धमकी देकर 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। कल दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर ने परिवादी को 55000 रूपये की वी.सी.आर. भरने का भय दिखाकर परिवादी से 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा परिवादी के कम करने की कहने पर 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने की सहमति दी। आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर की मांग के अनुसरण में परिवादी रिश्वत राशि देने हेतु आरोपी नवनीत गुर्जर के पास गया तो नवनीत गुर्जर फील्ड में गया होना पाया। जिसका काफी समय तक इंतजार किया। जब आरोपी नवनीत गुर्जर वापस आया तो परिवादी उससे परिसर में मिला। जिसने सावधानी बरतते हुये परिवादी को देखकर परिवादी को रिश्वत राशि अपने सहयोगी आरोपी मोहम्मद शाजिम जो परिसर में मौजूद था को देने हेतु ईशारा किया जिस पर परिवादी आरोपी मोहम्मद शाजिम के पास गया तथा वार्ता की। आरोपी मोहम्मद शाजिम दौराने रिश्वत लेन-देन परिवादी को परिसर में छोडकर आरोपी नवनीत गुर्जर से मिलकर वापस आया तथा परिवादी से रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने हाथो में लेकर रिश्वती राशि अपनी पेंट की पीछे वाली दाहिनी जेब में रखी। जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। आरोपी मोहम्मद शाजिम के दोनो हाथो को बारी-बारी से तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी है दाहिनी जेब को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगणो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर सहायक अभियन्ता के कहने से आरोपी मोहम्मद शाजिम द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने हाथो में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी। जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई। आरोपीगणो का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बी.एन.एस. 2023 का घटित करना पाया गया। अतः उक्त आरोपीगण 1. श्री नवनीत सिंह गुर्जर पुत्र श्री ब्रजराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 79/38 मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर शहर हाल सहायक अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. टोंक 2. श्री मोहम्मद शाजिम पुत्र श्री मोहम्मद आबिद जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी कालीपलटन पुलिस थाना कोतवाली टोंक जिला टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (सविदाकर्मी) जे.वी.वी.एन.एल. टोंक (दलाल) के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (ऋषिकेश मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1. श्री नवनीत सिंह गुर्जर पुत्र श्री ब्रजराज सिंह जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 79/38 मानसरोवर पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर शहर हाल सहायक अभियंता जे.वी.वी. एन.एल. टोंक 2. श्री मोहम्मद शाजिम पुत्र श्री मोहम्मद आबिद जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी कालीपलटन पुलिस थाना कोतवाली टोंक जिला टोक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (सविदाकर्मी) जे.वी.वी.एन.एल. टोंक (दलाल) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 133 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 926-29 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- सचिव (प्रशासन) जयपुर डिस्काम, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 15:07:50

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)